उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-43/ 2016/846 /26-3-2016-4(42)/2015

लखनऊः दिनांकः 14 मार्च 2016

कार्यालय ज्ञाप

श्रीमती अनीता रानी पत्नी श्री अरविन्द कुमार निवासी मो0-गुजरान, पटवों वाली गली, कस्बा-गंगोह, तहसील-नकुड, जिला-सहारनपुर द्वारा मण्डलीय अपीलीय फोरम, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के आदेश दिनांक-12.06.2015 के विरूद्ध राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-30.06.2015 प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील के निस्तारण के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-22/14/92-का-2/1996 टी.सी.।।। दिनांक 05.01.1996 के प्रस्तर-2 (5) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में प्रकरण की निदेशालय पिछडा वर्ग कल्याण के स्तर पर गठित सर्तकता प्रकोष्ठ से जॉच करायी गयी। निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण के पत्र दिनांक-09.10.2015 द्वारा सर्तकता प्रकोष्ठ की जांच आख्या दिनांक 06.10.2015 शासन को उपलब्ध करायी गयी।

2- प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक दिनांक-04.03.2016 को आहूत करते हुये शासन के नोटिस पत्र दिनांक-29.02.2016 द्वारा बैठक की सूचना अपीलार्थी श्रीमती अनीता रानी को दी गयी थी। उनके द्वारा सुनवाई की तिथि दिनांक-04.03.2016 को राज्य स्तरीय स्कूरटनी कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। समिति के समक्ष सतर्कता प्रकोष्ठ के जांच अधिकारी भी अभिलेखों सहित उपस्थित हुये। राज्य स्तरीय स्क्रटनी कमेटी द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सुना गया।

3- संक्षेप में प्रकरण यह है कि श्रीमती अनीता रानी पुत्री स्व0 चेतन प्रसाद विवाह के पूर्व कस्बा-रेवाड़ी, हरियाणा की रहने वाली थी जहां उनके पिता स्व0 श्री चेतन प्रसाद 'पटवा' जाति से सम्बन्धित थे तथा 'सामान्य वर्ग' के अन्तर्गत आते थे। श्रीमती अनीता रानी का विवाह अपने सजातीय 'पटवा' जाति के ही व्यक्ति श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री धन प्रकाश निवासी-कस्बा गंगोह, जिला-सहारनपुर (उ0प्र0) दिनांक 18.11.1991 को हुआ था। श्री अरविन्द कुमार 'पटवा' जाति के हैं तत्समय उ0प्र0 राज्य में भी यह जाति सामान्य श्रेणी में अनारक्षित थी। कालान्तर में वर्ष 1998-99 में दिनांक-08.07.1999 को उ0प्र0 में 'पटवा' जाति आरक्षित श्रेणी अन्य पिछड़े वर्ग में सम्मिलित हो गयी। तदोपरान्त श्रीमती अनीता रानी द्वारा दिनांक तहसीलदार नकुड़, सहारनपुर से 'पटवा' जाति अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र संख्या-3075, दिनांक-01.08.2001 एवं प्रमाण पत्र संख्याः 364, दिनांक 13.02.2004 प्राप्त किया गया।

कालान्तर में श्रीमती अनीता रानी को 'पटवा' जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षित कोटे के अन्तर्गत दिनांक-06.04.2004 को एस0डी0 कन्या इण्टर कालेज, सहारनपुर में सहायक अध्यापिका की नौकरी प्राप्त की गयी। श्रीमती अनीता रानी के जाति के सम्बन्ध में जनपद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्तर पर शिकायते प्राप्त होने पर जिला स्तरीय कमेटी, सहारनपुर ने अपने आदेश दिनांक 06.02.2015 द्वारा अपीलार्थी को 'पटवा' अन्य पिछडे वर्ग का निर्गत उक्त जाति प्रमाण पत्र संख्या-3075, दिनांक-01.08.2001 एवं प्रमाण पत्र संख्याः-364, दिनांक 13.02.2004 को निरस्त कर दिया गया।

4- जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, सहारनपुर के उक्त निर्णय दिनांक-06.02.2015 के विरूद्ध अपीलार्थी श्रीमती अनीता रानी द्वारा मण्डलीय अपीलीय फोरम, सहारनपुर के समक्ष अपील दिनांक-30.04.2015 प्रस्तुत की गयी। मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु दिनांक-30.04.2015 को अपीलीय फोरम की बैठक आहूत की गयी। मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा अपने निर्णय दिनांक-12.06.2015 में यह विवेचन करते हुये श्रीमती अनीता रानी की अपील निरस्त की गयी कि अपीलार्थी हरियाणा प्रान्त में 'पटवा' जाति जो वहां सामान्य वर्ग में आती है में जन्मी है, किन्तु उ0प्र0 में 'पटवा' अन्य पिछड़े वर्ग में सम्मिलित है अतएव विवाहोपरान्त इन्हें उ0प्र0 का मूल निवासी मानते हुये उ0प्र0 में अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित 'पटवा' जाति का लाभ नही दिया जा सकता।

5- श्रीमती अनीता रानी द्वारा मण्डलीय अपीलीय फोरम सहारनपुर के उक्त निर्णय दिनांक-12.06.2015 के विरूद्ध राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-30.06.2015 प्रस्तुत की गयी। प्रकरण की शासन स्तर से 'सतर्कता प्रकोष्ठ' से जांच करायी गयी। सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा तहसीलदार नकुड़ सहारनपुर की आख्या, जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी एवं मण्डल स्तरीय अपीलीय फोरम, सहारनपुर के निर्णयों तथा श्रीमती अनीता रानी द्वारा स्वयं को 'पटवा' अन्य पिछड़े वर्ग के जाति के समर्थन में प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों/बयान इत्यादि का अवलोकन कर विवेचन करते हुये जांच आख्या दिनांक-06.10.2015 शासन को प्रस्तुत की गयी।

<u>श्रीमती अनीता रानी द्वारा निम्नलिखित बयान तथा साक्ष्य सतर्कता प्रकोष्ठ को दिया गयाः</u>-

"श्रीमती अनीता रानी पत्नी श्री अरविन्द कुमार, उम्र 48 वर्ष लगभग निवासी-मो0 गुजरान, पटवां वाली गली, कस्बा-गंगोह, तहसील-नकुड, जिला सहारनपुर ने पूछने पर बताया कि मेरा जन्म दिनांक-02.02.1967 को रिवाड़ी, हरियाणा में हुआ था मेरे पिता स्व0 श्री चेतन प्रसाद पुत्र श्री सूरज प्रसाद पटवा की रिवाडी में विसातखाने का कार्य करते थे। इसके पूर्व में पुहाई का कार्य करते थे जोकि हम लोगों का खानदानी पेशा था तथा मेरी जाति 'पटवा' थी, जोकि सामान्य जाति के अन्तर्गत आती है। मेरी शिक्षा, विवाह से पूर्व वहीं रिवाडी में बी0ए0,बी0एड हैं तथा मेरा विवाह दिनांक-18.11.1991 में श्री अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 श्री धन प्रकाश निवासी गंगोह सहारनपुर से हिन्दू रीति रिवाज से विधि पूर्वक हुआ था तथा सजातीय था मेरे पति की जाति भी 'पटवा' है, जोकि शादी के समय उ0प्र0 में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आती थी। मेरी शादी के पश्चात दिनांक-08.07.1999 को 'पटवा' जाति उ0प्र0 में आरक्षित श्रेणी पिछड़ी जाति में आ गयी। वर्ष 2002 में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इलाहाबाद की सहायक अध्यापिका की विज्ञापित लिस्ट पर मैने आवेदन किया तथा लिखित परीक्षा व इण्टरब्यू की सफलता के बाद मेरी दिनांक-06.04.2004 को नियुक्ति 'सहायक अध्यापिका' के पद पर एस0डी0 कन्या इण्टर कालेज, रेलवे कालोनी, सहारनपुर के पद पर हो गयी। मैने दिनांक 01.08.2001 को तहसीलदार नकुड जिला सहारनपुर से जांचोपरान्त पिछड़ी जाति 'पटवा' का जाति प्रमाण पत्र संख्या 3075 बनवाया था। मैने दूसरे प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र पुनः दिनांक-13.02.2004 को तहसील नकुड जिला सहारनपुर से 'पटवा' जाति का प्रमाण पत्र संख्या 364 बनवाया था तथा उसी दिन ही तहसील से ही निवासी प्रमाण पत्र भी बनवाया था। नियुक्ति के बाद मैं नियमित रूप से अध्यापिका का कार्य कर रही हूँ। कुछ लोंगो ने मेरे विरूद्व शिकायत करके आर0टी0आई0 से मेरे जाति प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र व अन्य सभी प्रमाण पत्र मुझसे मांगे थे, जो मैने विद्यालय के माध्यम से उपलब्ध करा दिये थे। विरोधी पक्ष द्वारा मेरे विरूद्व यह झूठा आरोप लगाया कि मै 'महेश्वरी' सामान्य जाति की महिला हूँ तथा मैने पिछड़ी जाति 'पटवा' के श्री अरविन्द कुमार से लालचवश शादी की जोकि पूर्णतः निराधार व असत्य है क्योंकि रेवाडी में मेरी जाति 'पटवा' सामान्य जाति थी तथा मेरा विवाह भी जनपद सहारनपुर के श्री अरविन्द कुमार जोकि 'पटवा' जाति के थे तथा उस समय सन 1991 में यह जाति 'सामान्य श्रेणी' में आती थी। इसी आधार पर यह सत्य प्रमाणित हो जाता है कि मैने किसी भी लालचवश या अन्तर्जातीय विवाह नहीं किया था। सन 1999 में उ0प्र0 सरकार ने अपने शासनादेश संख्या-1253/64-1-99-135-95 दिनांक 08 जुलाई, 1999 के अनुसार 'पटवा' जाति का अन्य पिछड़ा जाति की सूची में शामिल किया था। मेरा यह कथन है कि मैं शादी से पूर्व जनपद रिवाडी हरियाणा की निवासी थी तथा मेरी जाति 'पटवा' था जोकि सामान्य जाति का तथा शादी के पश्चात दिनांक 18.11.1991 से मैं जनपद सहारनपुर की मूल निवासी हो गयी हूँ तथा मेरे पति की जाति भी 'पटवा' है जोकि दिनांक 08.07.1999 से पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आ गयी तथा मेरी भी जाति इसी अनुक्रम में पिछड़ी जाति हो गयी है जोकि पूर्णतः न्यायोचित है। आपके पत्र के अनुसार मैने अपने प्रकरण की एक विस्तृत आख्या संलग्न अभिलेखों व प्रमाण पत्रों के साथ जोकि मेरे द्वारा स्व प्रमाणित है आपको प्रेषित कर रही हूँ। जोकि 31 पृष्ठ की है तथा एक आख्या 25 पृष्ठों की अवलोकनार्थ प्रेषित है। जो बोला वही लिखा गया उसे पढ़कर हस्ताक्षर बनाती हूँ।" अपीलकर्ती श्रीमती अनीता रानी ने अपना बयान देने के बाद एक पत्र जांच अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ को दिया गया जिसमें श्रीमती अनीता रानी ने यह उल्लिखित किया कि शासनादेश संख्या-143 मु.स./का-2/99, दिनांक 14.12.99 में स्पष्ट उल्लिखित है कि जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा उसका जन्म हुआ है, के द्वारा जारी किया जायेगा। वह कस्बा गंगोह, तहसील-नकुड की निवासी सन् 1991 से ही हैं तथा जन्म से पटवा जाति की हैं इसी आधार पर नकुड़ तहसीलदार द्वारा उन्हें यह जाति प्रमाण पत्र दिया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिसे जिला स्तरीय कमेटी ने उनके जन्म स्थान हरियाणा से जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आधार को गलत बताया। यह तथ्य बिल्कुल गलत है। उक्त शासनादेश से यह सिद्व हो जाता है। श्रीमती अनीता रानी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के 'पटवा' जाति के जाति प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, प्रस्तुत की गयी, जोकि तहसील-नकुड, सहारनपुर से जारी किये गये हैं तथा कार्यालय नगर पालिका परिषद गंगोह सहारनपुर द्वारा दिनांक 12.08.2013 को जारी परिवार प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें श्री अरविन्द कुमार, अनीता, शुभांशु व शगुन का नाम अंकित है तथा जाति 'पटवा' अंकित है। इसके साथ ही श्रीमती अनीता रानी ने अपना नोटरी शपथ पत्र दिनांक 09.08.2015 प्रेषित किया है जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि उनका जन्म दिनांक 02.02.1967 को रेवाडी, हरियाणा में हुआ था उनके पिता का नाम स्व0 चेतन प्रसाद पुत्र सूरज प्रसाद पटवा था उनका वर्तमान मायका 3126/226ए कृष्णा गार्डन ने सामने रामपुरा रोड़ कम्पनी बाग, रेवाड़ी, हरियाणा में हैं। श्रीमती अनीता रानी ने अपनी शादी, जाति व पते आदि के समर्थन में अपने पति के बड़े ज्येष्ठ भाई तथा श्री विजयपाल पुत्र श्री धनप्रकाश पटवा निवासी मो0 गुजरान, कस्बा-गंगोह, सहारनपुर का भी नोटरी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। श्रीमती अनीता रानी द्वारा सतर्कता प्रकोष्ठ के समक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत किये गयेः-

(1) श्रीमती अनीता रानी के ज्येष्ठ श्री विजय पाल के पुत्र श्री हिमांशु माहेश्वरी तथा पुत्री कुमारी काजम को 'पटवा' जाति का निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 14.09.2009 एवं दिनांक 04.06.2013 की छायाप्रति तथा एक अन्य करीबी रिश्तेदार कुमारी महिला माहेश्वर का 'पटवा' जाति का दिनांक 04.07.2013 को जारी जाति प्रमाण पत्र संख्या-013133007903 की छायाप्रति।

(2) श्रीमती अनीता रानी पत्नी श्री अरविन्द कुमार निवासी-मो0-गुजरान, कस्बा-गंगोह, जिला सहारनपुर के नगरपालिका परिषद गंगोह (सहारनपुर) के कार्यालय से दिनांक 12.08.2013 को जारी किये गये परिवार प्रमाण पत्र प्रति की स्व-प्रमाणित छायाप्रति जिसमें इनके परिवार के सभी चारों सदस्यों का विवरण 'पटवा' जाति के साथ अंकित है।

(3) श्रीमती अनीता रानी द्वारा रूपया-10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टैम्प पर नोटरी हलफनामा तथा श्री विजयपाल पुत्र श्री धनप्रकाश निवासी-मो0 गुजरान, गंगोह, जिला सहारनपुर जोकि अनिता रानी के ज्येष्ठ हैं, द्वारा दिया गया नोटरी हलफनामा की प्रति जिसमें इनके जाति, शादी व अन्य के बारे में जानकारी दी गयी।

(4) जिलाधिकारी, सहारनपुर कार्यालय द्वारा श्रीमती अनीता रानी मो0 गुजरान, गंगोह, सहारनपुर को निर्गत सामान्य निवास प्रमाण पत्र' संख्या 10136/आर0ए0-2 दिनांक 13.02.2004 की प्रति।

(5) कार्मिक अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 143मु0स0/का-2/99, दिनांक-14.09.1999 की प्रति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) श्रीमती अनीता रानी व उनके द्वारा श्री अरविन्द कुमार का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की छायाप्रति तथा 'आधार कार्ड' की प्रति जिसमें इनका पता म0सं0-37, गुजरान, तहसील-नकुड़, जिला-सहारनपुर अंकित है।

(7) तहसीलदार नकुड़, जिला सहारनपुर द्वारा श्रीमती अनीता रानी को 'पटवा' जाति का निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या 3075 दिनांक 01.08.2001 एवं प्रमाण पत्र संख्या 364, दि0 13.07.2004 की प्रति।

(8) श्री प्रदीप चैधरी, मा0 सदस्य विधान सभा गंगोह विधान सभा सहारनपुर का पत्र जिसमें श्रीमती अनीता रानी को 'पटवा' जाति का होना व उनका पता सत्यापित किया गया है की प्रति तथा चौ0 हारून, सभासद, नगरपालिका, पोस्ट-गंगोह, सहारनपुर एवं काजी नौमान मजूद, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद गंगोह द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र की प्रति।

(9) श्रीमती अनीता रानी अपने निकटतम रिश्तेदारों क्रमशः कु0 दीपिका पुत्री ऋषिपाल, कु0 अनुशिना पुत्री ऋषिपाल, श्री अंकुश पटवा पुत्र श्री ऋषिपाल, श्री साक्षी पुत्र श्री गोपाल कुमार, कु0 नेहा पुत्री श्री अशोक कुमार, कु0 शिवांगी पुत्री श्री अशोक कुमार, कुमारी राखी पुत्री श्री रमेश चन्द्र कु0 निधि पुत्री रमेश चन्द्र निवासी कायमगंज, फर्रूखाबाद, श्री विशु कुमार माहेश्वरी सुपुत्र श्री गोपाल दास, कु0 सोनाली पुत्री श्री नन्दकिशोर, कुलदीप पुत्री श्री नन्द किशोर, कु0 इशिका माहेश्वरी पुत्री श्री बंसराम माहेश्वरी, प्रदीप कुमार पुत्र श्री बंसराम, कु0 साजवी माहेश्वरी पुत्री श्री अशोक कुमार, श्री पुनीत कुमार पुत्र श्री प्रदीप कुमार, श्री विनीत कुमार पुत्र श्री प्रदीप कुमार, कु0 गरिमा पुत्री सोहनलाल, श्री सुनील माहेश्वरी पुत्र श्री प्रदीप कुमार, करिश्मा पुत्री विजय कुमार, श्री धंनन्जय माहेश्वरी सुपुत्र श्री अनिल कुमार माहेश्वरी, दीपांशु माहेश्वरी पुत्र श्री विजय पाल, कु0 निकिता गुप्ता पुत्री श्री प्रदीप गुप्ता, कु0 अंकिता गुप्ता पुत्री प्रदीप कुमार गुप्ता, सभी निवासीगण उत्तर प्रदेश के 'पटवा'जाति के जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।

(10) दिनांक 23 मार्च, 1994 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनु0 जनजातियां) व अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम,1994 की अनुसूची-1 की छायाप्रति

(11) जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सहारनपुर द्वारा दी गयी सूचना की प्रति।

(12) तहसीलदार नकुड़ सहारनपुर द्वारा क्रमशः तहसीलदार रिवाड़ी, हरियाणा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सहारनपुर को प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियां व तहसीलदार रिवाड़ी हरियाणा द्वारा तहसीलदार नकुड को भेजे गये पत्र की छायाप्रति ।

उक्त के अतिरिक्त श्रीमती अनीता रानी ने अपनी 'पटवा' जाति व स्थायी पते के समर्थन में श्री राधा कृष्ण पुत्र श्री शम्भू सिंह, निवासी-मो0 गुजरान, पटवों वाली गली, कस्बा गंगोह, तहसील-नकुड़, जिला सहारनपुर/श्री रमेश कुमार पुत्र स्व0 श्री कृष्ण कुमार/श्री सुरेश चन्द्र पुत्र स्व श्री मंगत राम/श्री सुशील कुमार पुत्र स्व0 श्री धन प्रकाश-पटवा/श्री पवन कुमार पुत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्व0 श्री जय प्रकाश-पटवा/श्री शिव कुमार पुत्र स्व0 श्री राम सिंह-गुर्जर/श्री सुरेश पाल राणा पुत्र स्व0 श्री गुरचरण सिंह राणा-गुर्जर/श्री मुकेश कुमार वायस पुत्र श्री गोपीचन्द्र जाति वैश्य/डॉ0 अमित गर्ग पुत्र पवन कुमार गर्ग जाति वैश्य/श्री यशपाल सैनी पुत्र श्री तेजपाल सिंह सैनी, जाति सैनी एवं श्री योगेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री बनारसी दास जाति सुनार सभी निवासीगण गंगोह, सहारनपुर के नोटरी हलफनामा दिनांक-14.08.2015 की प्रति साक्ष्य रूप में प्रस्तुत की गयी जिसमें सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा शपथ पूर्वक नोटरी में कहा गया कि वह श्रीमती अनीता रानी का विवाह दिनांक-18.11.1991 को श्री अरविन्द कुमार निवासी-कस्बा गंगोह, तहसील-नकुड़, सहारनपुर के साथ हुआ तथा विवाहोपरान्त वह अपने पति के स्थायी पते पर निवास कर रही हैं।

6- सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जांच में जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, सहारनपुर के निर्णय दिनांक-06.02.2015 एवं मण्डलीय अपीलीय फोरम, सहारनपुर के निर्णय का भी अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि जनपद स्तरीय स्क्रूरटनी कमेटी द्वारा तहसीलदार नकुड की आख्या दिनांक 15.10.2013 एवं जिला शासकीय अधिवक्ता, सहारनपुर के पत्र दिनांक 24.01.2015 द्वारा दी गयी विधिक राय के आधार पर यह निष्कर्ष दिया गया कि 'किसी भी व्यक्ति के जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति एवं पिता के मूल निवास के प्रदेश की व्यवस्था के अनुसार लिया जाता है' अतएव श्रीमती अनीता रानी जिनका जन्म हरियाणा राज्य में 'पटवा' सामान्य जाति में हुआ है, को जाति प्रमाण पत्र हरियाणा राज्य से जारी होना चाहिये। तदनुसार अपील निरस्त कर दी गयी। मण्डलीय अपीलीय फोरम' सहारनपुर द्वारा भी अपने विवेचन में जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, सहारनपुर के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुये अपील निरस्त की गयी।

7- सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जनपद स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय फोरम के निर्णय, तहसीलदार नकुड़ एवं तहसीलदार रेवाड़ी, हरियाणा की आख्या तथा अपिलार्थिनी श्रीमती अनीता रानी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो/अभिलेखों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा दिये गये नोटरी, हलफनामा/बयानों का निम्नवत् साक्ष्य विश्लेषण किया गयाः-

सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा विस्तृत जांच के अनुसार अपीलार्थिनी श्रीमती अनीता रानी पत्नी श्री अरविन्द कुमार द्वारा अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग की 'पटवा' जाति के प्रमाण पत्र जोकि तहसीलदार नकुड़, जिला-सहारनपुर द्वारा दिनांक 13.02.2004 व संशोधित द्वितीय जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.08.2001 को निर्गत हुआ था जिसे कुछ शिकायतकर्ताओं द्वारा मिथ्या आरोप लगाकर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा दिनांक 06.02.2015 को निरस्त कर दिया तथा इसी क्रम में तहसीलदार, नकुड़ ने भी दिनांक 16.02.2015 को अनीता रानी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्व श्रीमती अनीता रानी ने एक रिट याचिका संख्या-23467/2015 दिनांक 24.04.2015 को दायर की जिसके निर्णय के अनुसार अनीता रानी ने मण्डलीय अपीलीय फोरम से शासनादेश संख्या-685 दिनांक 26.03.2011 के अनुसार दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

30.04.2015 को एक अपील दायर की, जिसमें सुनवाई के बाद दिनांक 19.06.2015 को जिला स्तरीय कमेटी के निर्णय को बरकरार रखते हुये अपील को खारिज कर दिया।

मण्डलीय अपीलीय फोरम से अपील खारिज होने के पश्चात श्रीमती अनिता रानी ने उपरोक्त शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार "राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी" समाज कल्याण विभाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश शासन) में अपील की, जिसके आदेशानुसार 'सतर्कता प्रकोष्ठ' को इस प्रकरण की जांच सुपुर्द की गयी। श्रीमती अनीता रानी उपरोक्त के प्रकरण में जांच के दौरान प्रस्तुत बयान, अभिलेखों व साक्ष्यों तथा जांच कमेटी व फोरम की जांच का विधिवत् अवलोकन व परिशीलन किया गया तो समस्त परीक्षण/विश्लेषण के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आये कि श्रीमती अनीता रानी का जन्म दिनांक 02.02.1967 को रिवाड़ी, हरियाणा प्रदेश में हुआ था। इनके पिता जी का नाम स्व0 श्री चेतन प्रसाद पुत्र स्व0 श्री सूरज प्रसाद पटवा था। वर्तमान में श्रीमती अनिता रानी के मायके का परिवार मकान नं0-3126/22/6ए कृष्णा गार्डन के सामने, रामपुरा रोड़, कम्पनी बाग, रेवाड़ी, हरियाणा में रह रहें हैं।

श्रीमती अनीता रानी के पिता श्री चेतन प्रसाद की जाति तहसीलदार रेवाड़ी, हरियाणा की आख्या जोकि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) को सम्बोधित है ने, अपने पत्र संख्या 161/ओ0के0 दिनांक 26.09.2013 में यह स्पष्ट किया है कि श्रीमती अनिता रानी की जाति 'पटवा' जाति है जोकि हरियाणा राज्य में सामान्य श्रेणी में आती है। वर्तमान में 'पटवा' जाति के लोग 'माहेश्वरी' सरनेम का प्रयोग करते हैं।

श्रीमती अनीता रानी का विवाह दिनांक 18.11.1991 को श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री धन प्रकाश पटवा निवासी मोहल्ला गुजरान, कस्बा-गंगोह जिला सहारनपुर के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार आपसी नातेदारी व रिश्तेदारी में सामाजिक/पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्गत हुयी थी। श्रीमती अनीता रानी के पति अरविन्द कुमार उनकी सगी बुआ (स्वर्गीय) के देवर हैं। श्रीमती अनीता रानी के पति श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री धन प्रकाश जी का 'पटवा' जाति का जाति प्रमाण पत्र जोकि पिछड़ी जाति से संबंधित हैं, तहसीलदार नकुड़ सहारनपुर द्वारा जारी किया गया है, जिसकी संख्या 3074 है। शादी के बाद से श्रीमती अनीता रानी लगातार अपने पति श्री अरविन्द कुमार के साथ उनके स्थायी निवास कस्बा गंगोह सहारनपुर में रह रही हैं जोकि अब उनका स्थायी पता है। इस पते के सत्यापन के समर्थन में उन्होंने जिलाधिकारी, कार्यालय सहारनपुर द्वारा दिनांक 13.02.2004 को जारी किया हुआ सामान्य निवास प्रमाण पत्र संख्या-10136 प्रेषित किया है। इसी के साथ-साथ कार्यालय नगर पालिका परिषद गंगोह (सहारनपुर) द्वारा निर्गत परिवार प्रमाण पत्र जिसमें परिवार संख्या 61 पर श्रीमती अनीता रानी का पूरा परिवार अंकित है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शासनादेश संख्या-143मु0स0/का-2/99 दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 में किये गये निर्देशो के अनुसार व्यक्ति जहां पैदा हुआ हो या जहां निवास करता है, के जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी **मजिस्ट्रेट** /परगना **मजिस्ट्रेट** /तहसीलदार द्वारा निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विवाह के पश्चात महिला के स्थायी निवास **(DOMICLE)** के संबंध में **Indian Successtion Act** 1925 के पैरा 15 व पैरा 16 में यह व्यवस्था की गयी है शादी के पश्चात महिला का स्थायी निवास उनके पति के स्थायी निवास का ही हो जाता है। इस प्रकार से भी श्रीमती अनीता रानी वर्ष 1991 से अपने पति श्री अरविन्द कुमार निवासी मो0 गुजरान कस्बा गंगोह, तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हैं। श्रीमती अनीता रानी अपने जन्म स्थान रेवाड़ी हरियाणा से ही सामान्य जाति 'पटवा' की थी तथा उसके पति श्री अरविन्द कुमार भी शादी के समय वर्ष 1991 में जनपद सहारनपुर, उ0प्र0 में 'पटवा' जाति के थे, जोकि उस समय सामान्य जाति के अन्तर्गत आती थी।

वर्ष 1999 में उ0प्र0शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1 शासनादेश दिनांक 08 जुलाई, 1991 के अनुसार 'पटवा' जाति पिछड़ी जाति की सूची के अन्तर्गत शामिल हो गयी तथा केन्द्र सरकार के राजपत्र दिनांक 06 सितम्बर, 1994 के अनुसार भी 'पटवा' जाति पिछड़ी जाति में सम्मिलित की गयी थी।

वर्ष 2001 व वर्ष 2004 में श्रीमती अनीता रानी ने तहसीलदार नकुड़, जिला सहारनपुर से अपने स्थायी पते मो0 गुजरान, कस्बा गंगोह तहसील नकुड़, सहारनपुर से व्यापक जांचोपरान्त दिनांक-01.08.2001 की 'पटवा' जाति का जाति प्रमाण पत्र संख्या 3075 तथा दिनांक 13.02.2004 को पुनः संशोधित प्रारूप पर 'पटवा' पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र संख्या 364 बनवाया था।

विज्ञापन संख्या 1/2002, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 'सहायक अध्यापिका' (अंग्रेजी) के पद की रिक्ति निकली जिस पर श्रीमती अनीता रानी द्वारा अपना जाति प्रमाण पत्र संख्या 3075 'पटवा' जाति अन्य पिछड़े वर्ग के आधार पर एस0डी0 कन्या इण्टर कालेज, रेलवे कालोनी, सहारनपुर में दिनांक 06.12.2004 को सहायक अध्यापिका के पद नियुक्ति प्राप्त की गयी।

श्रीमती अनीता रानी की पिछड़ी जाति 'पटवा' के आधार पर हुयी नियुक्ति पर श्री वी0के0 तोमर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद के शिकायती पत्र संख्या 132, दिनांक 13.10.2012 व श्री नदीम सजबानी पुत्र श्री वजीर हसन खान आजम, देहरादून रोड, सहारनपुर की शिकायत पर व जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में निराधार शिकायत की गयी जिस पर तत्कालीन जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सहारनपुर ने संज्ञान लेकर तहसीलदार नकुड से आख्या मांगी जिसमें तहसीलदार नकुड़ ने अपनी आख्या पत्र संख्या-137/5 दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 में यह तथ्य अंकित किया है कि श्रीमती अनीता रानी का जाति प्रमाण पत्र जोकि 'पटवा' जाति का है तथा पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आता है पूर्णतया सही है इस संबंध में तहसीलदार रिवाड़ी, हरियाणा की तीन जांच आख्याओं का संज्ञान अंकित है तथा तहसीलदार नकुड़ ने अपने इस पत्र में यह भी उल्लिखित किया है कि उनके द्वारा श्रीमती अनीता रानी को जारी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कोई भी संस्तुति कभी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नहीं की गयी है। उक्त पत्र की प्रतिलिपियां क्रमशः जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सहारनपुर प्रभारी अधिकारी (शिकायत) मजिस्ट्रेट, सहारनपुर जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर व उपजिलाधिकारी नकुड़, सहारनपुर को प्रेषित है। दिनांक 09.06.2014 को तत्कालीन तहसीलदार ने जिन्होंने पूर्व में अंकित आख्या भी प्रेषित की थी ऐसी प्रतीत होता है कि कतिपय पूर्वाग्रह, मिथ्यापूर्ण तथ्यों व भ्रमित/झूठी शिकायतों के आधार पर अविवेकपूर्ण अपनी स्वयं की पूर्व आख्या व तहसीलदार रेवाड़ी, हरियाणा की आख्याओं का गलत अर्थ निकालकार प्रस्तुत करते हुये पत्रांक 170/नकल नवीस, दिनांक 09.06.2014 दी गयी जिसमें यह अंकित किया गया कि श्रीमती अनीता रानी ने तथ्यों को छुपाकर 'पटवा' जाति का प्रमाण पत्र बनवाया है जोकि स्वतः असत्य सिद्व होता है क्योंकि तत्कालीन तहसीलदार नकुड़ ने ही तहसीलदार रेवाड़ी, हरियाणा से आख्यायें मंगवाकर, जांचोपरान्त उपरोक्त दोनों विरोधाभाषी आख्यायें प्रेषित की हैं। तत्पश्चात दिनांक 07.07.2014 को श्रीमती अनिता रानी के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर श्री अनिल कटियार, तहसीलदार नकुड़, सहारनपुर द्वारा दिनांक-09.07.2014 को अपने पत्र संख्या-187/नकल नवीस द्वारा एक आख्या पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सहारनपुर को श्रीमती अनीता रानी की जाति 'पटवा' दर्शाते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जिससे भी यह स्वतः सिद्व होता है कि तहसीलदार नकुड़ ने अपनी तीन आख्याओं में परस्पर विरोधाभाषी तथ्य प्रस्तुत किये हैं तथा अपनी दोनों आख्याओं में श्रीमती अनीता रानी को 'पटवा' जाति का ही होना बताया गया।

जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, सहारनपुर ने दिनांक 05.02.2015 की बैठक में तहसीलदार नकुड़, तहसीलदार, रेवाडी हरियाणा एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सहारनपुर व जिला शासकीय अधिवक्ता की आख्याओं व श्रीमती अनीता रानी के बयान का संज्ञान लेकर निर्णय लिया कि जाति प्रमाण पत्र पिता की जाति व पिता के मूल निवास के प्रदेश की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किया जाता है जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपनी विधिक राय में स्वतः यह स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के बाहर जन्म लेने वाली तथा निवास करने वाली महिला उत्तर प्रदेश में विवाह करने के उपरान्त निवास करने के समय से उत्तर प्रदेश की निवासी मानी जायेगी। यह तथ्य पूर्व में वर्णित **Indian Successtion Act** 1925 के पैरा 15 व पैरा 16 में पूर्णतः वर्णित है जिससे श्रीमती अनीता रानी का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना प्रमाणित है। शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय के अनुसार महिला की जाति उसके जन्म के समय सामान्य जाति में थी तो वह उ0प्र0 में निवास करने के बाद भी सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आयेगी। इस संबंध में पूर्व में ही यह तथ्य तहसीलदार रेवाड़ी हरियाणा की आख्याओं से स्पष्ट है कि श्रीमती अनीता रानी की जाति 'पटवा' की वर्ष 1991 में शादी के उपरान्त उनके पति श्री अरविन्द कुमार की जाति जोकि सहारनपुर उत्तर प्रदेश के निवासी है, की भी जाति 'पटवा' थी। उपरोक्त दोनों पत्नी श्रीमती अनीता रानी व पति श्री अरविन्द कुमार की जाति 'पटवा' थी जोकि सामान्य श्रेणी में आती

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है। परन्तु वर्ष 1991 में भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने शासनादेशों के अनुसार जोकि पूर्व में उल्लिखित हैं तथा प्रतियां संलग्न है 'पटवा' जाति को 'पिछड़ी जाति' में आरक्षित कर दिया है। इस प्रकार नियमानुसार संवैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत श्री अरविन्द कुमार व श्रीमती अनीता रानी स्वतः सामान्य जाति से अन्य पिछड़े वर्ग की 'पटवा' जाति के अन्तर्गत आरक्षित हो गये, जोकि नैर्सगिक न्याय का द्योतक है। उक्त अनुक्रम में श्रीमती अनीता रानी व उनके पति श्री अरविन्द कुमार ने नियमानुसार तहसीलदार, नकुड जिला-सहारनपुर से 'पटवा' अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा की गयी विस्तृत जांच में यह बात स्पष्ट ज्ञात हुयी है कि जिला स्तरीय कमेटी ने तहसीलदार रेवाड़ी, तहसील, नकुड़ जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रेषित तथ्यों का संज्ञान तो लिया है, परन्तु अपना निर्णय लेते हुये तथ्यों को तोड-मरोड़ कर पेश करते हुये विरोधाभाषी निर्णय लिया है जोकि न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

8- सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा प्रकरण कि की गयी गहन जांच, अपीलार्थिनी के बयान, प्रेषितदस्तावेज/जाति प्रमाण पत्र/अभिलेखीय साक्ष्यों, नोटरी हलफनामों, जनप्रतिनिधियों व सक्षम अधिकारियों/कमेटी/फोरम द्वारा सम्पादित की गयी जांचों, विधिक राय केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के शासनादेशों, मा0 न्यायालयों के आदेशों व प्रचलित विधि की धाराओं का सूक्ष्म अध्ययन व अवलोकनोपरान्त निष्कर्षतः यह पाया गया कि श्रीमती अनीता रानी जोकि वर्तमान में एस0डी0 कन्या इण्टर कालेज, सहारनपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं, का जन्म सन 1967 कस्बा रेवाड़ी, हरियाणा में 'पटवा' जाति (सामान्य श्रेणी) के परिवार में हुआ। श्रीमती अनीता रानी का विवाह भी हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार ही घर के रिश्तेदारी में समीपवर्ती जिले सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के सजातीय 'पटवा' जाति के ही श्री अरविन्द कुमार से सन 1991 में हुआ। विवाह के समय उ0प्र0 में भी 'पटवा' जाति सामान्य श्रेणी में आती थी। विवाह के पश्चात् देश के कानूनों में वर्णित नियमों/व्यवस्था के अनुसार श्रीमती अनीता रानी अपने पति के निवास स्थान जनपद-सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की स्वतः संवैधानिक/विधिक रूप से स्थायी निवासी हो गयी, इस तथ्य को पूर्व में ही समीक्षा के दौरान विस्तार से परिभाषित किया जा चुका है। अतः इस बिन्दु पर कोई भी संशय शेष नहीं रह जाता है।

वर्ष 1999 में उ0प्र0 सरकार व केन्द्र सरकार ने अपने निर्णयों व शासनादेशों के अनुसार 'पटवा' जाति को 'अन्य पिछड़ी जाति' में सम्मिलित कर आरक्षित कर लिया और 'पटवा' जाति उत्तर प्रदेश में नियमानुसार सभी 'अन्य पिछड़ी जातियों' को प्रदत्त आरक्षण/लाभ की हकदार हो गयी। चूंकि श्रीमती अनीता रानी पत्नी श्री अरविन्द कुमार जोकि उ0प्र0 की स्थायी निवासी प्रमाणित थी तथा उनकी जाति भी 'पटवा' सत्यापित थी, को तहसीलदार, नकुड़ जिला सहारनपुर द्वारा विधिवत जांचोपरान्त 'पटवा' जाति का वैध जाति प्रमाण पत्र जारी किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गया। संपूर्ण उ0प्र0 में भी वर्ष 1999 से सभी 'पटवा' जाति के निवासियों को 'पिछड़ी जाति' का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहें है।

श्रीमती अनीता रानी ने वर्ष 2002 में विज्ञापित सहायक अध्यापिका के पद पर पिछड़ी जाति के आधार ही स्वयं का आवेदन किया और नियमानुसार सभी परीक्षाओं को योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण कर चयनित हो गयी और 2004 से इसी पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 2011 से कुछ स्थानीय निवासीगणों ने व्यक्तिगत ईश्र्या, स्वार्थ व द्वेषभाव से पे्ररित होकर श्रीमती अनीता रानी के 'पटवा' जाति के होने की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुये सक्षम अधिकारियों से सारे तथ्यों को तोड-मरोड़ कर झूठी तरह से पेश करते हुये गुमराह/शिकायत की, जिस पर कई स्तरों पर जांच की गयी जांच में श्रीमती अनीता रानी द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी वैधानिक तथ्यों को पूर्णतः संज्ञान में भी लिया गया, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय लेते समय कतिपय कारणों से उन सभी सत्य तथ्यों को नजरअंदाज किया गया।

सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा संवैधानिक, वैधानिक, केन्द्र व राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों व नैर्सगिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुये सम्पूर्ण जांच के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रीमती अनीता रानी पत्नी श्री अरविन्द कुमार निवासी मो0 गुजरान, पटवों वाली गली, कस्बा-गंगोह, तहसील-नकुड़, जिला सहारनपुर की जाति 'पटवा' है, जोकि 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के अन्तर्गत आती है।

9- राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा जनपदीय एवं मण्डलीय अपीलीय फोरम के निर्णय, सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच आख्या, तहसीलदार नकुड़, सहारनपुर की आख्या एवं तहसीलदार रेवाड़ी, हरियाणा की आख्याओं तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/बयानों इत्यादि के अनुशीलनोंपरान्त यह पाया गया कि श्रीमती अनीता रानी का जन्म रेवाड़ी, हरियाणा में 'पटवा' जाति (सामान्य श्रेणी) के परिवार में हुआ। कालान्तर में श्रीमती अनीता रानी का विवाह हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार उ0प्र0 के सहारनपुर जनपद के कस्बा-गंगोह निवासी श्री अरविन्द कुमार सजातीय 'पटवा' जाति से सन 1991 में हुआ। विवाह के समय उ0प्र0 में भी 'पटवा' जाति सामान्य श्रेणी में आती थी। विवाह के पश्चात् देश के कानूनों में वर्णित नियमों की व्यवस्था के अनुसार श्रीमती अनीता रानी अपने पति के निवास स्थान मो0 गुजरान, पटवों वाली गली, कस्बा गंगोह, तहसील नकुड़, जनपद-सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की स्वतः विधिक रूप से स्थायी निवासी हो गयी। इस बिन्दु पर कोई संशय शेष नहीं रह जाता है कि श्रीमती अनीता रानी उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी नहीं हैं।

वर्ष 1999 में उ0प्र0 सरकार व केन्द्र सरकार ने अपने निर्णयों व शासनादेशों के अनुसार 'पटवा' जाति को अन्य पिछडे वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया। तदोपरान्त तहसीलदार नकुड़, सहारनपुर द्वारा श्रीमती अनीता रानी को जांचोपरान्त अन्य पिछड़ा वर्ग की 'पटवा' जाति का जाति प्रमाण पत्र संख्या-3075 दिनांक-01.08.2004, दूसरा प्रमाण पत्र संख्या-364 दिनांक-13.02.2004 निर्गत किया गया जो विधिक एवं नियमानुसार सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतएव राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि श्रीमती अनीता रानी पत्नी श्री अरविन्द कुमार निवासी मो0 गुजरान, पटवों वाली गली, कस्बा-गंगोह, तहसील-नकुड़, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित 'पटवा' जाति की सदस्य है। अतएव समिति अपीलार्थी की उक्त अपील दिनांक-30.06.2015 को उपरोक्तानुसार एतद्द्वारा निस्तारित करती है।

विकास शर्मा संयुक्त निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0लखनऊ	केदारनाथ निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0शासन

पृ0संख्या-43/2016/846/(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को उनके निर्णय दिनांक-12.06.2015 के सन्दर्भ में।

2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, सहारनपुर को उनके निर्णय दिनांक-06.02.2015 के सन्दर्भ में।

3. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

4. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

5.श्रीमती अनीता रानी पत्नी श्री अरविन्द कुमार निवासी मो0 गुजरान, पटवों वाली गली, कस्बा-गंगोह, तहसील-नकुड़, जिला सहारनपुर।

6.गार्ड फाईल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।